न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–16,गाजियाबाद।
पीठासीन अधिकारी–जुनैद मुजफ्फर (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. I.D. No–U.P.02667

UPGZ010232192023

सत्र परीक्षण संख्या 786/2023,
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 3353/2023,
मु०अ०सं०-431/2023,
सरकार बनाम परितोष पाल,
धारा-304 बी, 498 ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना-मुरादनगर,जिला गाजियाबाद।

दिनांक 06–03–2024

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 227 दं०प्र०सं० के निस्तारण हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र धारा 227 दं०प्र०सं० के सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को पूर्व में सुना जा चुका है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र धारा 227 दं०प्र०सं० में अभियुक्त परितोष पाल का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त की शादी मृतका पूजा के साथ दिनांक 13.05.2020 को कोविड माहमारी काल मे बिना दान दहेज के केवल दोनों ओर के घर के सदस्यों की मौजूदगी में सम्पन्न हुई थी। प्रार्थी की पूजा के साथ लव मैरिज हुई थी अन्यथा भी मृतका की विधवा माता की माली हालत खराब है तथा वो किसी प्रकार का दहेज देने की स्थिति में नहीं थे और ना हैं। मृतका गुस्सैल प्रवृत्ति की महिला थी तथा छोटी–छोटी बातों पर आत्म हत्या की धमकी देती थी। शादी के बाद प्रार्थी/अभियुक्त मृतका के साथ आयुध निर्माणी परिसर मे शान्तिपूर्ण व सौहार्द वातावरण में रहा तथा दोनों के बीच कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। पूछताछ करने पर आस पड़ोस के लोग इसकी पुष्टि कर सकते हैं। घटना के समय प्रार्थी घर पर यानि घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। घटना के दिन प्रार्थी 11.30 बजे अपने पुत्र के साथ पडोसी विकास बर्मन के यहां बैठा हुआ था,10 मिनट बाद जब प्रार्थी घर पहुंचा तो मृतका ने गेट अन्दर से बन्द किया हुआ था, प्रार्थी के आवाज देने पर जब मृतका ने गेट नहीं खोला तो प्रार्थी ने पड़ोसी की मदद से गेट तोडने पर पाया कि मृतका पंखे से फंदा लगाकर लटकी हुई थी, प्रार्थी पडोसियों की मदद से मृतका को आयुध निर्माणी अस्पताल ले गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रार्थी ने उपरोक्त घटना की बावत उसी समय थाना मुरादनगर पर लिखित में सूचना देते हुए पोस्ट मार्टम कराने की प्रार्थना की, जिससे यह तथ्य संदेह से परे साबित है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा कथित अपराध से डिस्चार्ज होने योग्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिया ने झूठे व मनगढंत आरोप प्रार्थी व उसके भाई भाभी के विरूद्ध लगाये हैं, जिसमे पुलिस ने जांच के दौरान प्रार्थी के भाई व भाभी को निर्दोष मानते हुए उनके

नाम विवेचना से पृथक कर दिये, जिससे साबित है कि वादिया द्वारा उपरोक्त मुकदमा झूठा लिखाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिया ने शादी मे 5 भौरी सोना व 10 लाख रूपये नकद देना व दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाया है, जबकि मृतका की विधवा माता की माली हालत खराब है, मृतका के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी व मृतका पूजा ने प्रेम विवाह कोर्ट में कोविड काल के दौरान किया था, जिसमें कोई दहेज नहीं दिया गया। प्रार्थी के माता पिता के पास रहने के लिये घर नहीं था, प्रार्थी ने माता पिता का घर बनवाने के लिये आयुध निर्माणी वेतन भोगी सहकारी समिति लि० से वर्ष 2021 व 2022 मे 4,50,000/-रूपये लोन लिया था, जिसमें से प्रार्थी ने 3,20,700/-रूपये जमा करा दिये हैं तथा 1,29,300/-रूपये ऋण व 4580 रूपये ब्याज बकाया है। उपरोक्त लोन लेने के बाद से ही मृतका पूजा ने प्रार्थी पर अपनी माता का घर बनवाने के लिये दबाव डालना व कलह शुरू कर दी। प्रार्थी ने मृतका को कई बार समझाया कि पहला लोन अदा करने के बाद तुम्हारी माता की मदद कर दूंगा परन्तु वह लगातार इसी बात को लेकर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करती थी, जिससे घर का वातावरण अशान्त रहने लगा। घटना के दिन 11.08.2023 को भी मृतका ने अपनी माता का घर बनवाने के लिये दबाव डाला, जिस पर प्रार्थी ने उसे पुराना लोन चुकता होने तक इन्तजार करने के लिये कहा परन्तु मृतका प्रार्थी को भला बुरा कहने लगी प्रार्थी चुपचाप वातावरण को हल्का करने के लिये अपने पुत्र को लेकर पडोसी के यहां चला गया, जिसके बाद मृतका ने गुस्से मे कथित घटना को अंजाम दिया। मृतका ने केवल भावावेश में आकर आत्महत्या की है। उक्त घटना से प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं बनता है। वादिया ने प्रार्थी को ब्लैकमेल करके रूपया ऐठने की मंशा से झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी मोटर साईकिल या स्कूटर चलाना नहीं जानता है और ना ही उसके पास ड्राईविंग लाइसेन्स है, ऐसी स्थिति मे दहेज में मोटर साईकिल मांगने का कथन स्वमेव झूठा व मनगढंत साबित है। घटना के बाद पंचो की राय लेने हेतु पंच नियुक्त किये गये, जिसमें नामित पंचो में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम भी है, जिससे साबित है कि प्रार्थी मृतका के शव के साथ रहा तथा बिना किसी देरी के स्वयं थाने पर लिखित सूचना दी, उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थी की निर्दोषता संदेह से परे साबित है। विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर ओ एफ एम गेट से दिनांक 13.08.2023 को गिरफ्तार करना बताया गया है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त को उसके आवास स्थित ओ ०एफ० एम० परिसर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय आस पड़ोस के अनेक व्यक्ति मौजूद थे, जिससे पुलिस की कार्यवाही झूठी व फर्जी साबित है। मृतका पूजा या उसकी माता वादिया अथवा अन्य किसी परिजन द्वारा कभी मृतका से दहेज मांगने या शारीरिक प्रताडना की बावत कभी कोई शिकायत पुलिस या अन्य किसी अधिकारी को नहीं दी गई जिससे वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कहानी झूठी व मनगढंत साबित है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई पुख्ता व विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है तथा जो भी साक्षी दर्शाये गये है, वह पश्चिमी बंगाल से हैं, आरोप पत्र मे दर्शित गवाह झूठे व अविश्वसनीय हैं, जो कथित घटना से पहले कभी प्रार्थी व मृतका से मिलने नहीं आये। वादिया जब भी मृतका यानि अपनी पुत्री पूजा को फोन करती थी तो पैसे की मांग करती थी, मृतका के कहने पर प्रार्थी समय-समय पर वादिया को अपने माता पिता के माध्यम से पैसे भेजता रहा है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्त परितोष पाल को डिस्चार्ज किये जाने की कृपा की जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त ने प्रस्तुत प्रकरण में मृतका

से दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए प्रताडना की व दहेज की माँग पूरी न होने पर उसकी हत्या कारित की। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टयाः साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसे में अभियुक्त का प्रार्थना निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतका की माता शियुली देवनाथ ने थाना मुरादनगर गाजियाबाद पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसने अपनी बेटी पूजा की शादी दिनांक 13–05–2020 को परितोष पाल पुत्र प्रामाशा पाल मूल निवासी ग्राम साहेबरामपुर थाना जालांगी जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के साथ की थी, शादी में 5 भौरी सोना व दस लाख रूपये नकद दिये थे, शादी के बाद उसका दामाद व पुत्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर गाजियाबाद में रह रहे थे तथा उसका दामाद अतिरिक्त दहेज व मोटरसाईकिल की मांग करने लगा,इस बात को लेकर उसकी बेटी व दामाद के बीच झगडा होने लगा, उसका दामाद और दामाद का बडा भाई प्रहलाद पाल व भाभी सम्पा पाल उसकी पुत्री को प्रताडना देते थे, 6 माह पूर्व उसके दामाद ने उसकी बेटी का गला दबाया था तथा मारपीट की थी,जिसके सम्बन्ध में उसकी पुत्री ने उसे बताया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत में प्रधान और सदस्यों के समक्ष समझौता हो गया था। दिनांक 11–08–2023 को समय सुबह 11.30 बजे मोबाईल संख्या 9058704347 से उसके पास फोन आया कि उसकी पुत्री की मृत्यु ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में हो गयी है। वादिनी की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण परितोष पाल व उसके भाई प्रहलाद पाल व भाभी सम्पा पाल के विरूद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 304 बी, 498 ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गयी,जिसकी विवेचना विवेचक सी०ओ०सदर द्वारा की गयी, विवेचक ने दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया व गवाहान के बयानात लिये व अपनी तमाम विवेचना के उपरान्त नामजद अभियुक्त भाई प्रहलाद पाल व भाभी सम्पा पाल की नामजदगी गलत पायी गयी व अभियुक्त परितोष पाल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला धारा 304 बी, 498 ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मृतका पश्चिमी बंगाल की रहने वाली थी तथा उसकी शादी अभियुक्त के साथ हुई थी। मृतका की मृत्यु शादी के सात साल के अंदर अंदर हो हुई है। मेरे विचार में अभियुक्त के प्रार्थना पत्र में किये गये उपरोक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायालय को इस स्तर पर पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य की इस नजरिये से विवेचना नहीं करनी है कि क्या उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की आक्षेपित अपराध में दोष सिद्धि की जा सकती है अथवा नहीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **राजवीर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य ए आई आर 2006 एस सी 1963** में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आरोप विरचन के स्तर पर न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना नहीं करनी होती है। न्यायालय को इस स्तर पर मात्र यह निर्धारित करना होता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध विचारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं। जहां तक बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र में इस कथन का प्रश्न है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा दर्ज साक्षीगण ने अपने बयानों में असत्य कथन किये हैं, इस सम्बन्ध में कोई भी निष्कर्ष इस स्तर पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उक्त साक्ष्य व विश्लेषण के प्रकाश में अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त परितोष पाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 227 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन सुनवाई हेतु दिनांक 14–03–2024 को प्रस्तुत हो।

दिनाँक 06–03–2024

(जुनैद मुजफ्फर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 16,गाजियाबाद।